न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ
पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
5 / 24	22.8.2024	24.01.2025

गजेसिंह गोदपुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी हिम्मतपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर

अपीलांट

बनाम

1. काछबसिंह पुत्र श्री हेमसिंह
2. लेहरोकंवर पत्नी सांगसिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण हिम्मतपुरा तहसील शेगरढ़ जिला जोधपुर
3. राणीकंवर पत्नी भंवरसिंह
4. बिजूकंवर पुत्री भंवरसिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण दुर्गसिंहपुरा गेनाणगढ़ तहसील शेगरढ़ जिला जोधपुर
5. ग्रास पंचायत हिम्मतपुरा जरिये सरपंच
6. राजस्थान सरकार ज रिये तहसीलदार शेरगढ़

रेस्पोडेन्टस

फौतेदगी नामान्तकरण प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 बरखिलाफ फौतेदगी नामान्तकरण सख्या 80 जो ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा जरिये सरपंच द्वारा दिनांक 15.8.2023 स्वीकृत किया गया ।

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गेम्भरसिह राठौड उपस्थित।

अप्रार्थी सख्या 1 से 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

अप्रार्थी सख्या 5 , 6 उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़
जिला जोधपुर

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह हैं कि ग्राम जोगनगर पटवार हल्का हिम्मतपुरा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र साई तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा नम्बर 24 रकबा 47.0082 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ की भूमि में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टस की पैतृक कृशि भूमि आई हुई है उक्त भूमि की प्रकृति अपीलान्ट के दादा/परदादा की पुष्तैनी पैतृक भूमि/संपति होने के कारण इस भूमि पर अपीलान्ट का हक व अधिकार बनता है अपीलान्ट के काकिसा समदाकंवर का नाऔलाद का स्वर्गवास दिनांक 07.05.2021 को हो गया समदाकंवर फौत होने पर उनके नाम से खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 24 रकबा 47.0082 हैक्टेयर मे नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 15.08.2023 केवल समदाकंवर के दो देवर–जेठ के वारिषान का नाम भरा जाकर ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा द्वारा स्वीकार किया गया जबकि उक्त नामान्तरकरण में नजदीकी वारिषान समदाकंवर के चार देवरो जेठ अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज करना था जबकि यह नामान्तरकरण भरते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने बड़ी चालाकी से अपने व एक भाई की पत्नी के नाम सरपंच से मिली भगत करके नामान्तकरण स्वीकृत करवा दिया गया तथा ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी हिम्मतपुरा द्वारा समदाकंवर के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तकरण अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बाले–बाले उनकी कृशि भूमि के विधिक उत्तराधिकारी अपीलान्ट को बिना पूर्णतया अवैध रूप से कानूनी एवं विधि विरूद्ध अपीलान्ट का हक हड़प करते उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा गया जिससे आहत होकर यह अपील अदालत में निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है एवं सराज खानदान निम्न प्रकार है।

विद्ववान ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा जरिये सरपंच द्वारा समदाकंवर पत्नी रामसिंह के फौत होने के पष्चात फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 80 को उनके नजदीकी हकदारो के नाम नामान्तरकरण भरने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई मात्र 2 नजदीकी वारिषान को हकदार मानकर अपीलान्ट के साथ घोर विधि विरूद्ध व कानूनन गलत फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो कि विधि के नजरिये से षुरू से ही षून्य है इसलिए नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 15.08.2023 को खारिज होने के काबिल है खारिज फरमाया जावे अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे। ग्राम हिम्मतपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 80 स्वीकृत करने से पूर्व

उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़
जिला जोधपुर

अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सूचना का अवसर नहीं दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के विपरीत है इसलिये नामान्तरण संख्या 80 खारिज होने के काबिल खारिज फरमाया जावे। ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा जरिये सरपंच द्वारा भू राजस्व अधिनियम में सत्यापित फौतेदगी नामान्तरण भरने एवं स्वीकृत करने के प्रावधानो के विपरित जाकर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं कर उनके विधिक उत्तराधिकार प्राप्त हक अधिकारो का हनन कर भारी विधिक भूल की है इसलिये नामान्तरकरण संख्या 80 खारिज होने के काबिज है खारिज फरमाया जावे अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे। अपीलाधीन नामान्तरण मिली भगत करके भरवाया गया है क्योंकि हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के साथ शड़यन्त्रपूर्वक उक्त कार्यवाही की गई क्योंकि पटवारी नामान्तरकरण भरते समय स्व समदाकंवर के उत्तराधिकारो की जॉच करता एवं अपीलान्ट का नाम भी फौतेदगी नामान्तरकरण में आता लेकिन हल्का पटवारी के कथनो एवं भू निरीक्षक की फर्जी जॉच के आधार पर ही सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो कि हिन्दू उत्तराधिकार एवं पैतृक कृशि भूमि में फौतेदगी नामान्तरकरण की अमल दरामदगी के नियमावली का घोर उल्लघंन किया गया अतः ऐसे नियमों को ताक में रखते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे। अपीलाधीन नामान्तरकरण को भरते एवं स्वीकार करते समय उक्त विवादग्रस्त अरानियत में अपीलान्ट के बारे में कोई पूछताछ नहीं कर काछबसिंह व लेहरोकंवर के नाम से ही क्यो दर्ज किया गया ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण काबिज निरस्त फरमाये जाने योग्य होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अभी हाल ही में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खेत बेचान करने पर अपीलान्ट को पता चला की उस खेत खसरा नम्बर 24 में समदाकंवर का नामान्तरकरण भरवा दिया है तथा मुझ अपीलान्ट व भंवरसिंह के वारिषान का नाम पीछे छोड़ दिया है तब तहसील षेरगढ़ में उक्त नामान्तरकरण व जामंबदी कॉपिया ली। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 80

उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़
जिला जोधपुर

की जानकारी अपीलान्ट को इसलिये नहीं हो पाई की वो बाहर मजदूरी पर रहता है
तथा ढाणीयों में निवास करता है तथा खातेदारी भूमि के क्या कागजात होते है तथा
किन कागजातो एवं कार्यवाही से हक व अधिकार प्राप्त व खत्म हो जाते है इनकी
जानकारी नहीं होने के कारण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विष्वास में रहने के कारण
कि मेरा नाम तो होगा ही ऐसा कभी सोचा भी नहीं इस प्रकार से ही कार्यवाही की
जा सकती है क्योंकि समदाकंवर फौत होने पर काछबसिंह व लेहरोकंवर का नाम ही
दर्ज हुआ जो दिनांक 18.12.2024 को प्राप्त हुई तब अपीलान्ट द्वारा एक फौतेदगी
मुकदमा विरूद्ध अप्रार्थीगण के जरिये इस्तगासा एसीजेएम न्यायालय बालेसर में पेष
किया जिसकी कार्यवाही चल रही है तथा अपीलान्ट को अपील बाबत कानूनी
जानकारी नहीं होने के कारण उक्त अपील को उस समय पेष नहीं की तथा अब
प्रार्थी कानूनी सलाह लेने पर अपीलान्ट को दिनांक 16.08.2024 अपील करने की
जानकारी हुई। उक्त जानकारी एवं नकल प्राप्त होने की तिथि से अन्दर म्याद
अपील प्रस्तुत की जा रहीं है जिसे स्वीकार फरमाया जावे तथा अपीलाधीन
नामान्तरकरण की जानकारी के अभाव में व्यतीत डीले को कन्डोन फरमाया जाकर
अपील अन्दर म्याद षुमार घोशित कर स्वीकार फरमाई जावे एवं अपीलाधीन
नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावे। अपील श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार
में होने से हाजा अदालत वाला में पेष है।

अतः अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकर फरमाई
जावें। एवं फौतेदगी नामान्तरण संख्या 80 दिनांक 15.08.2023 जो कि सरपंच जरिये
ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा तहसील षेरगढ़ द्वारा दिनांक 15.08.2023 को विधिक
प्रावधानों के विपरीत बिना उत्तराधिकारीयो की जॉच किये बिना समूचित किये एवं
बिना सुने एवं बिना बयान दर्ज किये एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत
जाकर एवं फौतेदगी नामान्तरण के लिये नियमावली के अनदेखा करते हुए स्वीकार
किया गया जो निरस्त फरमाया जावे। एवं त्रउक्त नामान्तरण के बाद आगे कि
समस्त नामान्तरकरणों को ही निरस्त फरमाया जाने का आदेष करते हुए अपीलान्ट

उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़
जिला जोधपुर

का नाम विवादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण भरे जाने का आदेश फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट के सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोडेन्टस संख्या 5 व 6 की ओर से जबाव पेश किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम दिनांक 15.08.2023 से 22.08.2024 तक के समय को कन्डोन करते हुए स्वीकार किया जाता है

प्रकरण की बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। न्यायहित में अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाता है तथा फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 80 जो ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा जरिये सरपंच द्वारा दिनांक 15.08.2023 को स्वीकृत किया गया उसे खारिज किया जाता है तथा उक्त नामान्तकरण के बाद आगे के संबधित प्रभावी समस्त नामान्तकरणो को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 80 से पूर्व की स्थिति को बहाल करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार शेरगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त नामान्तरकरण विधिवत जॉच कर पक्षकारो की नियमित सुनवाई करके दस्तावेजी साक्ष्य लेकर 02 माह में निस्तारण करने की कार्यवाही करें।

पत्रावली आज दिनांक 24.01.2025....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास शर्मा)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़

उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़
जिला जोधपुर